न्यायालय अति. जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 35/2019

मातादीन सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व व नाराजगी आदेश दिनांक 15/3/2017 एवं 15/5/2018 प्रकरण सरकार बनाम मातादीन सिंह प्रकरण सं. 15/2017 अदालत तहसीलदार कोटपूतली

निर्णय दिनांक 27.11.19

अपीलान्ट आदेश दिनांक 15/3/2017 एवं 15/5/2018 प्रकरण ब उनवान सरकार बनाम मातादीन सिंह मु.नं. 15/2017 द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्नभांति पेश किये है।

1. ग्राम राजनौता के आ.ख.नं. 882/34.17 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर अधिस्मरणीय काल से सन्त महात्मा धूणी लगाकर भजन किर्तन करते चले आ रहे है, जिसमें गांव के सभी लोग आते जाते रहते है। प्रार्थी दिल्ली रहता है। उक्त स्थान से प्रार्थी का कोई लेना देना तालुक वास्ता नहीं है। यह स्थान महात्मा की बगीची के नाम से जाना जाता है। उक्त भूमि को आबादी में सैट अपार्ट करने की प्रार्थना गांव वालों द्वारा करने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में दिनांक 18/11/2010 प्रस्ताव संख्या 4 ग्राम पंचायत राजनौता की अनुपालना में उक्त आराजी खसरा नम्बर 882 रकबा 36.17 हैक्टर किस्म चारागाह में से एक हैक्टर भूमि का आबादी सैट अपार्ट प्रस्ताव तहसीलदार कोटपूतली से तैयार करवाकर शीविर प्रभारी के समक्ष पेश किया उसी रोज शिविर प्रभारी द्वारा आदेश पारित कर सैट अपार्ट किया, जिसका नामान्तरकरण दर्ज होकर खसरा नम्बर 4205/882 रकबा 1 हैक्टर आबादी दर्ज किया जा चुका है।
2. गांव के कुछ अवांछित तत्वों द्वारा राज्य कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर उक्त खसरा नम्बर के एक अन्य हिस्से पर कब्जा कर नक्शा ट्रेस में तरमीम कराकर सैट अपार्ट भूमि नक्शे में अन्यत्र स्थान पर दर्ज कराली तथा उक्त भूमि जो सैट अपार्ट कर आबादी में दर्ज की गयी थी इस कारण चारागाह में रह गयी।
3. प्रार्थी दिनांक 10/4/2017 को दिल्ली से कोटपूतली आया था उस दिन प्रार्थी को गांव में आने पर जानकारी हुयी कि उक्त सार्वजनिक भूमि से सम्बन्धित प्रार्थी के नाम एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट का आया है। उसी दिन तहसील आने पर जानकारी हुयी कि दिनांक 15/3/2017 को ही तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रार्थी के विरूद्व बेदख्ली आदेश पारित कर लगाल के 50 गुना पैनल्टी से दण्डित किया है। उसी रोज प्रार्थी ने एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर सुनवायी का अवसर प्रदान करने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दिनांक 05/5/2017 को पत्रावली जवाब में नियत की गयी। दिनांक 15/11/2017 को जानकारी हुयी कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 13/10/2017 को बिना सुनवायी के मनमर्जी से दिनांक 15/3/2017 के आदेश की पुष्टि कर दी इस पर उसी रोज प्रार्थी ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिन्यु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 24/11/2017 को स्वीकार कर पुनः नम्बर पर लेकर मिसल

अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

वास्ते साक्ष्य पटवारी हेतु नियत की गयी दिनांक 18/5/2018 को अचानक जानकारी हुयी कि दिनांक 15/5/2018 को ही प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा चुका है, जब माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाही एकतरफा निरस्त कर 15/3/2017 को निरस्त किया जा चुका था। उसके पश्चात् गुणावगुण पर आदेश पारित करना चाहिए था । रिन्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थना–पत्र रिव्यु खारिज किया है। प्रार्थी न्यायालय में बार–बार साक्ष्य देने और तारीखे तलाश करता था किन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य को बन्द किया जाकर आदेश पारित किये है। प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दर्ज कराया है कि विवादित भूमि पर न तो प्रार्थी का कब्जा है ना ही प्रार्थी का इससे कोई लेना देना है। इस तथ्य पर गौर ना कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पारित किये गये है। अतः अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप की जावें।

4. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समात पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील संलग्न पत्रावली किये गये।

5. बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुय कथन किया कि ग्राम राजनौता के आ.ख.नं. 882/34.17 में से 0.05 हैक्टर पर सन्त महात्मा धूणी लगाकर भजन किर्तन करते चले आ रहे है। उक्त स्थान से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। यह स्थान महात्मा की बगीची के नाम से जाना जाता है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 18/11/2010 को प्रस्ताव संख्या 4 ग्राम पंचायत राजनौता की अनुपालना में ग्राम राजनौता की आराजी खसरा नम्बर 882/36.17 है0 चारागाह भूमि में से एक हैक्टर भूमि का सैट अपार्ट हेतु प्रस्ताव तैयार कर शिविर प्रभारी के समक्ष पेश किया। उसी रोज भूमि का सैट अपार्ट किया गया जिसका नामान्तरकरण दर्ज होकर खसरा नम्बर 4205/882 रकबा एक हैक्टर आबादी दर्ज किया गया।

उक्त खसरा नम्बर 882 ने अन्य हिस्से पर कब्जा कर नक्शा ट्रेस में कुछ अवांछित तत्वों द्वारा तरमीम कराकर सैट अपार्ट भूमि अन्यत्र स्थान पर दर्ज कराली । उक्त भूमि जो सैट अपार्ट कर आबादी में दर्ज की गयी थी। इस कारण चारागाह में दर्ज रह गयी। न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा ्.नं. 15/2017 दिनांक 15/3/2017 को अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर आ.ख.नं. 882 रकबा 34.17 में से 0.05 है0 चारागाह भूमि में अतिक्रमण मानते हुए चारागाह में बनी पक्की दीवार को धवस्त करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये तथा लगान का 250 रूपये अर्द्व दण्ड से जुर्माना किया गया। उक्त आदेश एक पक्षीय पारित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाने हेतु दिनांक 10/4/2017 को प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार कर सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में बिना सुनवायी करें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13/10/2017 को मनमर्जी से पूर्व में निर्णित आदेश 15/3/2017 के आदेश को सही मानकर पुष्टि कर दी गयी, जो न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा रिन्यु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो दिनांक 24/11/2017 को स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य पटवारी हेतु नियत की गयी। अपीलान्ट/गैर सायल को अचानक जानकारी हुयी कि दिनांक 15/5/2018 को रिन्यु प्रार्थना–पत्र खारित कर दिया जो अन्तिम आदेश दिनांक 15/5/2018 को हुआ। उक्त विवादित भूमि पर न तो प्रार्थी का कब्जा है ना ही प्रार्थी का इससे कोई लेना देना है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट विरूद्व कार्यवाही ड्रेाप की जावें।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटपूतली ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का राजनौता की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15/3/2017 को अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व निर्णय पारित किया है तथा दिनांक 10/4/2017 को एक पक्षीय कार्यवाही प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश होने पर स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर दिनांक 13/10/2017 को पारित आदेश 15/3/2017 को यथावत रखा गया । उक्त आदेशों के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा रिन्यु प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसके अधिवक्ता दिनांक 02/5/2018 को उपस्थित भी रहा है। इसके बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार गैर सायल/अपीलान्ट को सुना जाने के उपरान्त रिन्यु प्रार्थना–पत्र दिनांक 15/5/2018 को खारित हुआ है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 15/3/2017 व आदेश दिनांक 15/5/2018 को यथावत रखा जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य व सूबत एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26/11/2019 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो पाया कि पटवारी हल्का राजनौता द्वारा उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा अतिक्रमण करने पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत् रिपोर्ट पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल को सुना जाकर दिनांक 15/3/2017 को ख.नं. 882 रकबा 34.17 में से 0.05 है0 चारागाह पर अतिक्रमण घोषित करते हुए उक्त आराजीयात् पर बनी पक्की दीवार को ध्वस्त किया जाकर मौके से बेदखल करने के तथा लगान का 50 गुना पैलन्टी आरोपित करने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश केविरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश होने पर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया है तथा सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए उक्त निर्णित आदेश दिनांक 15/3/2017 को दिनांक 13/10/2017 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यथावत रखा है। इसके उपरान्त उक्त आदेश के विरूद्व फिर एक रिन्यु प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा पेश किया गया। साक्ष्य का अवसर प्रदान भी किया गया है तथा दिनांक 02/5/2018 को अपीलान्टी गैर सायल का अधिवक्ता भी उपस्थित रहा है। इसके बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं किये इसके उपरान्त प्रस्तुत रिन्यु प्रार्थना–पत्र दिनांक 15/5/2018 को खारित किया जाना पाया गया । इससे साबित होता है कि अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 15/3/2017 के विरूद्व पहले एक पक्षीय प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कराया है। उसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहने पर फिर रेव्यु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। वह भी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है। इस प्रकार गैर सायल/अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है कि विवादित जमीन पर ना तो प्रार्थी का कब्जा है ना ही प्रार्थी ने कभी कब्जा किया है ना ही प्रार्थी कभी कब्जा करेगा लिहाजा प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप की जावें। चूँकि अतिक्रमी अन्डरटेकिंग दे रहा है कि अतिक्रमित भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं होने की स्थिति में गैर सायल/अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जावें यदि फिर भी अपीलान्ट का अतिक्रमण मौके पर पाया जाता है तो तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल करे तथा अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होने पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/3/2017 की पालना कर विवादित स्थल पर अपीलान्ट/गैर सालय द्वारा बनायी गयी पक्की दीवार को ध्वस्त कर भौतिक रूप से बेदखल करें तथा आरोपित शास्ति राशि वसूल करें। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

8. निर्णय आज दिनांक 27.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner